

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा

आवेदन पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

Sl. No. 17
Date 29/09/2022

जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत

के वार्ड संख्या 46 से *पार्षद/*अ-मुख्य-पार्षद/*मुख्य-पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- अनिल कुमार ठाकुर उर्फ अनिल कुमार

पिता/पति का नाम- एम सुधीर नन्दन ठाकुर

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- 25-11

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- 25-11

दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- 25-11

किये गये अपराध की प्रकृति- 25-11
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

दिया गया दण्ड- 25-11

काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- 25-11

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- 25-11

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं?

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- 25-11

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- 25-11

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- 25-11

(iv) यदि निष्पादित है, तो 25-11

(क) निष्पादन की तिथि- 25-11

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- 25-11

The Dependent mentioned
as Advocate has solemnly declared
before me

Sudipta

22/09/2022

NOTARY PUBLIC क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- 25-11
CIVIL COURT BIHAR


(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- 25-11

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- 25-11

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- 25-11



2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर किसी व्यक्ति मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें-
- अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- 25-4
 - न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- 25-4
 - अपराध संख्या 25-4
 - आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- 25-4
 - उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- 25-4

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कौडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें-

- अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- 25-4
- न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- 25-4
- अपराध संख्या- 25-4
- आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- 25-4
- उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- 25-4

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- 25-4

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-


(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- 25-4

(ii) शहरी भूमि- 18 घुंटा

(iii) भवन- 1

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए। 50 लाख मात्र



(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद *पचास हजार* (ii) बैंक बलेन्स- *STAD Bank*

(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें)
2478-38
4678-95

(iii) फिक्स डिपोजिट *25-4 And Kumar* (iv) बॉण्ड, शेयर- *X 25-4*

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) *5000 X 5 = 25000* (इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन *25-4*
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण
(पूर्ण विवरण दें)
पत्नी की गले की हार, चैन, उंगुठी

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/ वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ (प्रमाण-पत्रों के साथ) *25-4*

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति *25-4*

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज

के नाम के साथ अंकित करें- *मैट्रिक - म.स.वा.स.टी.ए.ई. स्कूल*
9 com. - R.D.S. स्कूल
B. com. - R.D.S. स्कूल
L.L.B. - म.स.वा.स.टी.ए.ई. स्कूल

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- *मुजफ्फरपुर*

तिथि- *23/9/22*

Anand Kumar Thakur
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर *Anand Kumar*

no Dependent identified
advocates has solemnly declare
before me *S. K. Singh*

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें
** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैल्थ टैक्स/पार्टी टेक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।
नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।
स्तम्भ खाली छोड़ देते भ्रम (X) चिह्न अंकित करें। यह सुना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है।
NOTARY REG. NO. 1349
MUZAFFARPUR, BIHAR



Sr. No. 14 BOOK No. 1
Date 22/09/2022

पिता/पति स्व कृष्णा नन्दन ठाकुर
उम्र 44 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर-निगम के वार्ड संख्या 42
मोहल्ला माली घाट, पोस्ट प्रधारा, थाना मिठनपुरा, जिला मुजफ्फरपुर
बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर-निगम के वार्ड संख्या 46 के *पार्षद/*उपमुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर-निगम के वार्ड 46 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

Anil Kumar Thakur
Anil Kumar
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - सुनील कुमार ठाकुर

नाम- सुनील कुमार ठाकुर

पता- सुनील मारी 23 वार्ड नम्बर 46

कोशमना - थाना मिठनपुरा मुजफ्फरपुर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - Satyendra

नाम- Satyendra Kumar Mishra

पता- Chunarhatti Road, gali No. 3
Mali ghat Ward - 46

स्थान : 135-

दिनांक : 22/9/22

I, the Dependent identified
Advocates has solemnly declared
before me

Shamoni Nath Gupta
22/09/2022

NOTARY REG. NO 1359/18
JVL COURT, MUZAFFARPUR, BIHAR

Pranesh Kumar Singh
22/9/22
लगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटेरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।